दिनांक- 06.08.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस – सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं भड़काऊ सूचनाओं पर रख रही है कड़ी निगरानी

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ खण्डित करने संबंधी भ्रामक सूचना प्रसारित कर सामाजिक वैमनस्यता एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करने वाले अज्ञात सोशल मीडिया हैंडल के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है

अवगत कराना है कि ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर*** *के निर्देशन में* ***श्रावण मास कांवड़ यात्रा-2026*** *को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जनपद की* ***सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम*** *द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सतत एवं प्रभावी निगरानी रखी जा रही है।*

इसी क्रम में संज्ञान में आया कि कुछ ***अज्ञात एक्स/ट्विटर हैंडल एवं फेसबुक अकाउंट*** *द्वारा कांवड़ खण्डित किए जाने के संबंध में* ***भ्रामक एवं तथ्यहीन सूचनाओं*** *का प्रसारण/प्रसार कर सामाजिक वैमनस्यता उत्पन्न करने तथा जनपद की शांति एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार की भ्रामक सामग्री से कांवड़ यात्रा के दौरान अनावश्यक भ्रम एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना थी।*

प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए ***थाना नकुड़*** *पर* ***मु0अ0सं0 398/2026***, *धारा* ***353(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS)*** *के अंतर्गत* ***अज्ञात एक्स/ट्विटर हैंडल एवं फेसबुक अकाउंट*** *के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।*

प्रकरण की गहन जांच की जा रही है। भ्रामक एवं भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध ***नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई*** *सुनिश्चित की जाएगी।*

सहारनपुर पुलिस की अपील

सभी नागरिकों से अनुरोध है कि किसी भी अपुष्ट अथवा भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें और न ही उसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करें। किसी भी संदिग्ध अथवा भ्रामक पोस्ट की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस अथवा संबंधित माध्यम से उपलब्ध कराएं। जनपद में शांति, सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

दिनांक: 06/08/2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 01 शातिर गौकश अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01 खोखा / 01 जिंदा कारतूस .315 बोर, गोकशी के उपकरण व 01 जिन्दा गौवंश बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, गौकशी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।

*इसी क्रम में दिनांक 05.08.2026 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक गंगोह एवं उ0नि0 श्री बिलेश कुमार सिसौदिया व थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा सिराजपुर तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति / वाहनों की चेकिंग की जा रही थी तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी कि बिशनगढ़ चोरी से यमुना नदी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते की ओर 4 से 5 लोग एक गोवंश को ले जा रहे हैं। पुलिस टीम मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंची तो 4-5 व्यक्ति एक गोवंश को रस्सी से बांधकर काटने की फिराक में थे, पुलिस टीम द्वारा तत्काल ललकारते हुए टोका गया तो गौकशों की तरफ से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर मे गोली लगने से घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार बदमाश के 04 अन्य साथी अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गये, जिनकी तलाश हेतु पुलिस द्वारा लगातार कांबिंग की जा रही है। घायल बदमाश / अभियुक्त की पहचान **अखलाक पुत्र अल्लाबन्दा निवासी ग्राम हलवाना थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** के रुप में हुई। घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी गंगोह में भर्ती कराया गया। अभियुक्त के **कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर व 01 खोखा / 01 जिंदा कारतूस .315 बोर पास में ही रखे गोकशी करने के उपकरण व 01 जिन्दा गौवंश** बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 373/26 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम व 3/5ए/8 सीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ का विवरण- *गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै व मेरे साथी मिलकर आवारा घुमते पशुओं को पकड़कर जंगल में सुनसान जगह ले जाते है तथा उनका कटान कर मांस को मुस्लिम बस्तियों में बेच देते है। इस काम में अच्छी कमाई हो जाती है। आज भी हम लोग एक गाय को यमुना के खादर से ही पकड़कर तस्करी कर लाये थे तथा जगल में सुनसान जगह तलाश कर कटान करने की तैयारी कर रहे थे।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. *इखलाख पुत्र अल्लाह बन्दा निवासी ग्राम हलवाना थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*

बरामदगी का विवरण-

- *01 तमंचा .315 बोर*
- *01 खोखा/ 01 जिंदा कारतूस .315 बोर*
- *गौकशी के उपकरण*
- *01 गौवंश जिन्दा*

अपराधिक इतिहास-

1. *मु0अ0सं0 403/19 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0781/19 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 246/20 धारा 188/269/270 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
4. *मु0अ0सं0 273/20 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
5. *मु0अ0सं0 151/26 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री बिलेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
3. *उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
4. *हे0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
5. *हे0का0 12 अंकुश गोदारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
6. *हे0का0 294 उदित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*

दिनांकः 06.08.2026

-प्रेस नोट-

ऑपरेशन सवेरा

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही □

थाना मिर्जापुर पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 155 ग्राम अवैध चरस बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा"** – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन सवेरा""** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त इकबाल उर्फ भूरा पुत्र लतीफ निवासी ग्राम फेतहुपुर नौआबाद उर्फ भूरीवाला (नागलमाफी) थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को ग्राम नागलमाफी मे वन विभाग तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे 155 ग्राम अवैध चरस बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 225/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/ पताः-

इकबाल उर्फ भूरा पुत्र लतीफ निवासी मौ0 भूरा वाला ग्राम नागलमाफी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

155 ग्राम अवैध चरस,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 श्री राम कुमार गौतम थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*
2. *हे0का0 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*
3. *का0 1879 अमित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*

दिनांकः 06.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा चेंकिग के दौरान ***01 शातिर अभियुक्त शाहबाज उर्फ बाजा पुत्र अनवर निवासी ग्राम उग्राहू थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर*** *को उग्राहू जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार अभियुक्त के विरूद्ध थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0स0 219/2026 धारा 4/25 आयुध अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

शाहबाज उर्फ बाजा पुत्र अनवर निवासी ग्राम उग्राहू थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम

01 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम

1. *उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर*
2. *का0 2010 विक्रान्त कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर*
3. *रि0का0 872 नरेश थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

दिनांक – 06.08.2026

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 255 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों नशे के/ अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **– "ऑपरेशन सवेरा""नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिले देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त फरमान पुत्र शाहनवाज निवासी मौ0 लहसवाडा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर मूल पता कस्बा कस्सावान थाना पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर** को कासिमपुरा फाटक नन्हेडा आशा रोड रेलवे पुल के नीचे थाना क्षेत्र देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 255 ग्राम अवैध चरस बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबन्द पर **572/2026 धारा 8/20 NDPS ACT** में पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फरमान पुत्र शाहनवाज निवासी मौ0 लहसवाडा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर मूल पता कस्बा कस्सावान थाना पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर

बरामदगी का विवरण –

- 255 ग्राम अवैध चरस नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 सन्दीप कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. है0का0 272 जुगेन्द्र मलिक थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. का0 2292 ब्रिजेश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांक – 06.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- दिनांक 06.08.2026 को वादी प्रभारी निरीक्षक देवबन्द श्री कपिल देव द्वारा अभियुक्तगण 1. साफवान पुत्र आरिफ निवासी भायला रोड मौ नेचलगढ थाना देवबन्द सहारनपुर, 2. अजीम पुत्र अख्तर निवासी मौहल्ला पठानपुरा बेरियान थाना देवबन्द सहारनपुर व 3. शहनवाज पुत्र हनीफ निवासी मौहल्ला नेचलगढ थाना देवबन्द सहारनपुर द्वारा आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गिरोह बनाकर अनुचित रूप से अपराध कारित करने जिससे जनता व आमजन में भय व्याप्त होने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 570/2026 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में **03 वांछित अभियुक्तगण 1. साफवान पुत्र आरिफ निवासी भायला रोड मौ नेचलगढ थाना देवबन्द सहारनपुर, 2. अजीम पुत्र अख्तर निवासी मौहल्ला पठानपुरा बेरियान थाना देवबन्द सहारनपुर व 3. शहनवाज पुत्र हनीफ निवासी मौहल्ला नेचलगढ थाना देवबन्द सहारनपुर** को रणखण्डी फाटक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. साफवान पुत्र आरिफ निवासी भायला रोड मौ नेचलगढ थाना देवबन्द सहारनपुर
2. अजीम पुत्र अख्तर निवासी मौहल्ला पठानपुरा बेरियान थाना देवबन्द सहारनपुर
3. शहनवाज पुत्र हनीफ निवासी मौहल्ला नेचलगढ थाना देवबन्द सहारनपुर

अभियुक्त साफवान का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 286/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 287/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 288/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 289/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 53/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना यमुनानगर हरियाणा
6. मु0अ0सं0 293/25 धारा 3(5)/111/317(2)/317(5)/318(4)/336(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

अभियुक्त अजीम का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 286/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 287/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

3. *मु0अ0सं0 288/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*
4. *मु0अ0सं0 289/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*
5. *मु0अ0सं0 53/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना यमुनानगर हरियाणा*
6. *मु0अ0सं0 8656/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मन्दिर मार्ग न्यू दिल्ली*
7. *मु0अ0सं0 293/25 धारा 3(5)/111/317(2)/317(5)/318(4)/336(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*

<u>अभियुक्त शहनवाज का आपराधिक इतिहास</u>

1. *मु0अ0सं0 286/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 287/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 288/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*
4. *मु0अ0सं0 289/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*
5. *मु0अ0सं0 53/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना यमुनानगर हरियाणा*
6. *मु0अ0सं0 293/25 धारा 3(5)/111/317(2)/317(5)/318(4)/336(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द जिला सहारनपुर*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

1- प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2- उ0नि0 रोबिल्स कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3- है0का0 1309 दीपक कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4- है0का0 1319 अनुज कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5- का0185 हर्ष चौधरी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांक – 06.08.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 नशा तस्कर अभियुक्त/ अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से कुल 283 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में ***"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"*** *अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत नशा तस्करो के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतू आदेशित किया गया है।*

इसी क्रम में ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर*** *के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार मे लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.08.2026 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान* ***02 नशा तस्कर 1. अभियुक्त मेहरबान पुत्र सत्तार निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*** *व* ***2. अभियुक्ता फरजाना पत्नी मेहरबान निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*** *को ग्राम फिरोजाबाद से पाजबाँगर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 283 ग्राम अवैध चरस बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 281/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया।। अभियुक्तगण द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम पता-

1. मेहरबान पुत्र सत्तार निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. फरजाना पत्नी मेहरबान निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 144 ग्राम अवैध चरस (अभियुक्त मेहरबान से बरामद)
- 139 ग्राम अवैध चरस (अभियुक्ता फरजाना से बरामद)

अभियुक्त मेहरबान का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 109/20 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 41/22 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

3. मु0अ0सं0 55/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

<u>अभियुक्ता फरजाना का आपराधिक इतिहास-</u>

1 मु0अ0सं0 363/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-</u>

1. *थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
3. *है0का0 1107 अरविन्द कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
4. *है0का0 859 अमित तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
5. *का0 1870 पुनित यादव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
6. *रि0का0 588 राजकुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
7. *रि0म0का0 654 अंजली थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक – 06.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 02 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 48 हाफ अग्रेजी शराब इम्पिरियल ब्लू प्रिमीयर ग्रेन व्हिस्की चण्डीगढ मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अवैध शराब की बिक्री/तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 06.08.2026 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान **02 नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. सावेज पुत्र अनवर निवासी एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर व 2.मोबीन पुत्र गुलाब नबी निवासी टीचर कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को सरसावा नकुड रोड से बुढेडा जाने वाले रास्ते पर टयूबवैल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के कब्जे से 48 हाफ अंग्रेजी शराब इम्पिरियल ब्लू प्रिमीयर ग्रेन व्हिस्की चण्डीगढ मार्का जिस पर FOR SALE IN U.T CHANDIGARH ONLY बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0- 255/2026 धारा 63 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सावेज पुत्र अनवर निवासी एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. मोबीन पुत्र गुलाब नबी निवासी टीचर कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

48 हाफ अग्रेजी शराब इम्पिरियल ब्लू प्रिमीयर ग्रेन व्हिस्की चण्डीगढ मार्का बरामद होना

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त मोबीन उपरोक्त)

1. मु0अ0सं0 105/98 धारा 364/302/120बी/201 भादवि थाना सरसावा
2. मु0अ0सं0 407/07 धारा 307 भादवि थाना सरसावा
3. मु0अ0सं0 409/07 धारा 25 आर्मस एक्ट थाना सरसावा
4. मु0अ0सं0 410/07 धारा 414/420 भादवि थाना सरसावा
5. मु0अ0सं0 227/06 धारा 413/420/467/468/471 भादवि थाना सरसावा
6. मु0अ0सं0 19/08 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सरसावा
7. मु0अ0सं0 58/08 धारा 323/324/506/386 भादवि थाना सरसावा
8. मु0अ0सं0 78/08 धारा 110जी सीआरपीसी थाना सरसावा
9. मु0अ0सं0 03/20 धारा 120बी,307,393,352 भादवि थाना सरसावा
10. मु0अ0सं0 8/20 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना सरसावा
11. मु0अ0सं0 123/26 धारा 63 आब0 अधि0 थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 255/26 धारा 63 आब0अधि0 थाना सरसावा सहारनपुर

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त सावेज उपरोक्त)

1. मु0अ0सं0 255/26 धारा 63 आब0अधि0 थाना सरसावा सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 1134 सन्दीप कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. का0 1497 मोनू कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांक: 06.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा पिस्टल दिखाकर रोब गालिब करने वाले 01 बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया, कब्जे से 01 पिस्टल (लाईसेन्सी) 7.655 एम0एम0 व 04 जिन्दा कारतूस (0.32)बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पिस्टल दिखाकर रोब गालिब करने वाले ***01 बाल अपचारी*** *को पेपर मिल रोड स्कूल तिराहे से भट्टा कालोनी रोड से संरक्षण में लिया गया। जिसके कब्जे से 01 लाईसेन्सी पिस्टल 7.655 एम0एम0 (0.32) बोर व 04 जिन्दा कारतूस बरामद। बरामदगी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 390/26 धारा 9/25/30 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।*

बरामदगी का विवरण-

- *01 पिस्टल न0 RP- 149280 7.65 MM (0.32”) बोर व*
- *04 अदद जिन्दा कारतूस 7.65 MM बोर*

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना सदर बाजार सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री नितिन कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर* ***(सादे वस्त्रो में)***
3. *है0का0 1007 सन्दीप कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर*

दिनांक – 06.08.2026

-प्रेस नोट-

कार्यालय यातायात पुलिस जनपद सहारनपुर

□ यातायात पुलिस की सतर्कता से मुख्य कांवड़ मार्ग पर टला संभावित हादसा, शराब के नशे में वाहन चला रहे चालक का वाहन सीज, ₹25,000 रूपये का किया गया चालान

□ सहारनपुर पुलिस की त्वरित एवं सतर्क कार्रवाई से कांवड़ श्रद्धालुओं एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित

अवगत कराना है कि दिनांक **05/06.08.2026** की रात्रि में यातायात पुलिस द्वारा विश्वकर्मा चौक पर चेकिंग के दौरान एक **सफेद रंग की बलेनो कार** संदिग्ध अवस्था में आती दिखाई दी, जिसकी नम्बर प्लेट को जानबूझकर मिट्टी से ढक रखा गया था। संदेह होने पर यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा वाहन को रोकने का संकेत दिया गया, किन्तु चालक ने वाहन न रोकते हुए तेज एवं लापरवाहीपूर्ण गति से वाहन को मोड़कर मुख्य कांवड़ मार्ग की ओर भगा दिया, जिससे मार्ग पर मौजूद शिवभक्त कांवड़ श्रद्धालुओं एवं आमजन की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया।

मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा चालक को रोकने का प्रयास किया गया, किन्तु उसने वाहन नहीं रोका। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए **यातायात प्रभारी उ0नि0 अमित तोमर** एवं उनकी टीम द्वारा तत्काल वायरलेस के माध्यम से सूचना प्रसारित कर अस्पताल चौक पर ड्यूटीरत यातायात पुलिसकर्मियों को सतर्क किया गया। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बैरिकेडिंग लगाकर वाहन संख्या **HR 11 S 1550** को सुरक्षित रूप से रोक लिया गया। वाहन चालक की **ब्रेथ एनालाइज़र** से जांच किए जाने पर उसके द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाना पाया गया। इसके अतिरिक्त चालक द्वारा तेज एवं अनियंत्रित गति से वाहन चलाना तथा वाहन की नम्बर प्लेट को छिपाकर चलाना भी पाया गया।

उक्त कृत्यों के संबंध में यातायात प्रभारी **उ0नि0 अमित तोमर** द्वारा चालक के विरुद्ध **मोटर वाहन अधिनियम** के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए **शराब पीकर वाहन चलाने, तेज एवं लापरवाहीपूर्ण गति से वाहन चलाने तथा नम्बर प्लेट छिपाकर वाहन चलाने** के आरोप में चालान किया गया। चालक पर **₹25,000 का जुर्माना** अधिरोपित करते हुए वाहन को **सीज** कर दिया गया।

सहारनपुर यातायात पुलिस आमजन से अपील करती है कि यातायात नियमों का पूर्णतः पालन करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं तथा वाहन पर वैध एवं स्पष्ट नम्बर प्लेट का प्रयोग करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

"आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व"

पुलिस अधीक्षक, यातायात
जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: **06.08.2026**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गई 15,007/- रूपये की शत प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस।

घटना का विवरणः- *दिनांक 02.08.2026 को शिकायतकर्ता मौ0 फैजान पुत्र मो0 मौ0 सरवर नि0 मौहल्ला मनिहारान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर अवगत कराया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्रेडिट कार्ड बनाने का झांसा देकर लिंक सेन्ड कर पुराने क्रेडिट कार्ड की डिटेल फिल कराकर 15,007/- रूपये का फ्राड कर लिया गया था। जिसके सम्बन्ध मे दिनांक 02.08.2026 को आनलाइन साइबर पोर्टल पर शिकायत सं0 33108260191249 दर्ज करायी थी।*

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, *पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे तथाथाना प्रभारी श्री उम्मेद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर मनिहारान साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर शिकायत संख्या 33108260191249 में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीडित उपरोक्त की साइबर फ्रॉड मे ठगी गयी कुल धनराशि 15,007/-* ***रूपये शत प्रतिशत पीडित के खाते में वापस*** *करायी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर साइबर हैल्प डैस्क थाना रामपुर मनिहारान का आभार प्रकट किया।*

पीडित का नाम व पताः-

मौ0 फैजान पुत्र मौ0 सरवर निवासी मौहल्ला मनिहारान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

15,007/- रूपये

धनराशि वापस कराने वाली साइबर टीमः-

1. *उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर*
2. *है0का0 1067 दीपक थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर*
3. *म0का0 775 आकांक्षा सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर*
4. *रि0 म0 का0 1953 संजना कुमारी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर*
5. *रि0 आ0 1920 जोनी कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर*
6. *रि0 आ0 1916 अक्षय कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर*
7. *रि0 आ0 232 पवन कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर*

दिनांक:06.08.2026

-प्रेस नोट-

!! सहारनपुर पुलिस की नशे के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले 02 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 67 पव्वे/फ्रुटी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाकर कडी कार्यवाही की जा रही है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना टीम द्वारा अवैध शराब की तस्करी/बिक्री करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस कार्यवाही का विवरणः

इसी क्रम में दिनांक 06.08.2026 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी/बिक्री करने वाले कुल ***02 नशा तस्कर अभियुक्तगण*** *गिरफ्तार*

1. अनस पुत्र महबूब निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर *को चिलकाना से नल्हेडा जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से कुल 32 पव्वे/फ्रुटी देशी शराब महबूबा उ0प्र0 मार्का बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर* ***मु0अ0सं0 282/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम*** *पंजीकृत किया गया ।*

2. ***. फैजान पुत्र कुर्बान निवासी ग्राम पठेड थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*** *को पटनी से ग्राम कालू माजरा जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से कुल 35 पव्वे/फ्रुटी देशी शराब महबूबा मार्का उ0प्र0 बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर* ***मु0अ0सं0 283/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम*** *पंजीकृत किया गया ।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्तगण का नाम पताः-

1. *अनस पुत्र महबूब निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
2. *फैजान पुत्र कुर्बान निवासी ग्राम पठेड थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*

बरामदगी का विवरणः-

- *कुल 67 पव्वे/फ्रुटी देशी शराब महबूबा उ0प्र0 मार्का*

अभियुक्त फैजान का आपराधिक इतिहास

1. *मु0अ0सं0 126/17 धारा 3/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना चिलकाना*
2. *मु0अ0सं0 594/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 595/20 धारा 10 उ0प्र0गुण्डा गर्दी अधि0 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
4. *मु0अ0सं0 159/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*
5. *मु0अ0सं0 332/25 धारा 115(2),126(2),352 बीएनएस थाना चिलकाना सहारनपुर*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:</u>

1- है0का0 1107 अरविन्द कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

2- है0का0 859 अमित तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

3- है0का0 107 सोनू पायला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

4- का0 1870 पुनित यादव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 06-08-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 10 जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के मुकदमें में 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 30,200/- रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 05.06.2013 को वादी श्री उमेश कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1- मुकीम उर्फ काला पुत्र मुस्तकीम नि0 जहांपुर थाना कैराना शामली (मृत्यु), 2- महताब उर्फ काना उर्फ जीवा पुत्र असगर थाना ग्राम बलवा थाना कैराना शामली व 3- सादर उर्फ खां साहब पुत्र आरिफ नि0 मौ0 शेख जादगान कस्बा व थाना तीतरों स0पुर अज्ञात बदमाशों द्वारा पेट्रोल पम्प लूटकर भागना पीछे करते समय फायर झोंकना जिसमें का0 राहुल ढाका की मृत्यु हो जाना शेष का बाल बाल बच जाना तथा सरकारी कारबाई नं0 16012639 लूट कर ले जाना की सूचना पर मु0अ0सं0-329/2013 धारा- 302/307/ 420/467/468/471 भादवि व 7 क्रि0ला0सं0 अधिनियम थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-93/18 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 10 जनपद –सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 10 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 06.08.2026 को अभियुक्तगण 1- महताब उर्फ काना उर्फ जीवा पुत्र असगर थाना ग्राम बलवा थाना कैराना शामली, 2- सादर उर्फ खां साहब पुत्र आरिफ निवासी मौहल्ला शेख जादगान थाना व कस्बा तीतरों जनपद सहारनपुर को मु0अ0सं0-329/2013 धारा- 302/307 भादवि व 7 क्रि0ला0सं0 अधि0 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 30,200/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा धारा-420/467/468/471 भादवि मे दोषमुक्त** किया गया।

नोट: अभियुक्त मुकीम उर्फ काला पुत्र मुस्तकीम निवासी जहांपुर थाना कैराना शामली (मृत्यु)

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री शिव सिंह।
विवेचक- उ0नि0 श्री अजय कुमार चौहान ।
पैरोकार- है0का0 मोहित कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

दिनांक 06-08-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 10 जनपद सहारनपुर द्वारा लूट के मुकदमें में 02 अभियुक्तों को 08 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 15-15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा

अवगत कराना है, कि दिनांक 05.06.2013 को वादी श्री प्रमोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश नि0 मोहम्मदपुर माफी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1- मुकीम उर्फ काला पुत्र मुस्तकीम नि0 जहांपुर थाना कैराना शामली (मृत्यु) 2- महताब उर्फ काना उर्फ जीवा पुत्र असगर थाना ग्राम बलवा थाना कैराना शामली 3- सादर उर्फ खां साहब पुत्र आरिफ नि0 मौ0 शेख जादगान कस्बा व थाना तीतरों स0पुर द्वारा अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी की मोटरसाइकिल यूपी 11X 5674 पल्सर व अरूण पुत्र राजपाल की मो0 सा0 नं0 यूपी 11 एसी 3675 पल्सर असलाह दिखाकर छीनकर ले जाने की सूचना पर मु0अ0सं0-330/2013 धारा- 392 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया । उपरोक्त अभियोग एसटी नं0- 94/18 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 10 जनपद –सहारनपुर में विचाराधीन रहा ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-10 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 06.08.2026 को अभियुक्तगण 1- महताब उर्फ काना उर्फ जीवा पुत्र असगर थाना ग्राम बलवा थाना कैराना शामली व 2- सादर उर्फ खां साहब पुत्र आरिफ नि0 मौ0 शेख जादगान थाना व कस्बा तितरो स0पुर को मु0अ0सं0-330/2013 धारा 392 भादवि में दोषी पाते हुए 08 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 15-15 हजार रूपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया ।

नोट: अभियुक्त मुकीम उर्फ काला पुत्र मुस्तकीम नि0 जहांपुर थाना कैराना शामली (मृत्यु)

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री शिव सिंह ।
विवेचक- उ0नि0 श्री मुकेश कुमार ।
पैरोकार- है0का0 मोहित कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ।

दिनांक 06-08-2026

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 10 जनपद सहारनपुर द्वारा लूट के मुकदमें में अभियुक्तों को 08 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 15-15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा–</u>

अवगत कराना है, कि दिनांक 05.06.2013 को वादी श्री जयसिंह लांबा पुत्र हरिद्वारी सिंह नि0 गलीरा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1- मुकीम उर्फ काला पुत्र मुस्तकीम नि0 जहांपुर थाना कैराना शामली (मृत्यु), 2- महताब उर्फ काना उर्फ जीवा पुत्र असगर थाना ग्राम बलवा थाना कैराना शामली व 3- सादर उर्फ खां साहब पुत्र आरिफ नि0 मौ0 शेख जादगान कस्बा व थाना तीतरों स0पुर अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी की मोटरसाइकिल UP11-AH 5259 पल्सर व वादी मौ0 फारुख पुत्र रोशन अहमद निवासी साहबेलाल थाना मण्डी स0पुर की मोटरसाइकिल UP 11 W 1271 को असलाह दिखाकर छीनकर ले जाने की सूचना पर मु0अ0सं0-55/331/2013 धारा- 392 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0- 95/18 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 10 जनपद –सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 10 जनपद –सहारनपुर द्वारा* ***आज दिनांक 06.08.2026 को अभियुक्तगण 1- महताब उर्फ काना उर्फ जीवा पुत्र असगर थाना ग्राम बलवा थाना कैराना शामली व 2- सादर उर्फ खां साहब पुत्र आरिफ नि0 मौ0 शेख जादगान थाना व कस्बा तितरो स0पुर को मु0अ0सं0-331//2013 धारा- 392 भादवि में दोषी पाते हुए 08 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 15-15 हजार रूपये के अर्थदण्ड*** *से दण्डित किया गया।*

नोट: अभियुक्त मुकीम उर्फ काला पुत्र मुस्तकीम नि0 जहांपुर थाना कैराना शामली (मृत्यु)

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री शिव सिंह।
विवेचक- उ0नि0 श्री मुकेश कुमार ।
पैरोकार- है0का0 मोहित कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।